न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 46/2019

प्रार्थीगण : बनाम अप्रार्थीगण :

1. उम्मेदराम पुत्र रामाराम
2. मोहनराम पुत्र रामाराम

जातियान जाट निवासी बेनण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

1. अन्जु पत्नि आइदानराम
2. केसूड़ी पत्नि नारायणराम
3. कोजाराम पुत्र नारायणराम
4. भानाराम पुत्र नारायणराम
5. मुकेश पूनिया पुत्र आइदानराम
6. सरोज पूनिया पुत्री आइदानराम
7. हनुमानराम पुत्र आइदानराम

सभी जातियान जाट सभी निवासीगण बेनण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

8. भूमिधारी जरिये, तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री बक्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थीगण की ओर से

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अप्रार्थीगण सं. 1, 5, 6, 7 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 28.06.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुदा जमीन ग्राम बेनण तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 173/2 रकबा 1.9740 हैक्टयर व खसरा नम्बर 172 रकबा 0.0647 हैक्टयर भूमि आयी हुई है। पीपाड़ शहर से जोधपुर जाने वाली मुख्य डामर सड़क से एक आम सार्वजनिक कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 173/1 के चिपते पुरब तरफ उत्तर से दक्षिण चलता है । प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुदा जमीन खसरा नम्बर 173/2 व आम सार्वजनिक कटाणी रास्ता के मध्य अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 173/1 आया हुआ है । प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन में आने जाने हेतु पीपाड़ शहर से जोधपुर जाने वाली मुख्य डामर सड़क से चलने वाले कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173/1 में से दक्षिणी सीमा के सहारे प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173/2 तक आता जाता है । जिस नक्शा को नजरी नक्शा में मार्क A B C D से दर्शाया गया है तथा उक्त रास्ता को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त रास्ता से सम्बोधित किया

उपखण्ड अधि.

Scanned by CamScanner

जायेगा । आम सार्वजनिक कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173/1 में से दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थीगण के खेत तक आने वाला रास्ता सबसे निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है । जिस वादग्रस्त रास्ता मार्क A B C D से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 173/2 व 172 में आता जाता है । पहले मूल खसरा नम्बर 173 था जिसका पारिवारीक बंटवाड़ा के समय कटाणी रास्तो के चिपता खेत अप्रार्थीगण के बंट में रखा था इसलिए अप्रार्थीगण ने एक लिखित स्टाम्प रूपये 10/– पर दिनांक 25.12.1996 को प्रार्थीगण के पिता रामाराम उर्फ रामूराम के हक में लिखकर दिया कि प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 172, 173/2 में अप्रार्थीगण आईदानराम, कोजाराम वगैरा के खेत से आ जा सकेगे । जिसकी लिखत फोटो प्रति संलग्न पेश है । दिनांक 10.04.2019 को प्रार्थीगण आम कटाणी रास्ता से वादग्रस्त रास्ता अपने खेत खसरा नम्बर 172, 173/2 में जा रहे थे तब अप्रार्थीगण सं. एक से सात ने प्रार्थीगण को ऐलानिया रूप से कहा कि हम अपने खेत खसरा नम्बर 173/1 में से आने जाने नही देगे तथा ऐलानिया रूप से कहा कि प्रार्थीगण को बरसात के समय अप्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 173/1 से वादग्रस्त रास्ता काश्त हेतु आने जाने नही देगे इस पर प्रार्थीगण ने कहा कि खसरा नम्बर 173 मूल खसरा था जिसका आपस में बंटवाड़ा किया गया जिसमें कटाणी रास्ता के चिपते अप्रार्थीगण सं. एक से सात के खेत् खसरा नम्बर 173/1 में से दक्षिणी सीमा से वादग्रस्त रास्ता होकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 173/2, 172 आ जा सकेगे बाबत् लिखित रूप में दिया था । लेकिन अप्रार्थीगण ने साफ तौर पर मना कर दिया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173/1 में से वादग्रस्त रास्ता होकर आने जाने नही देगे जबकि कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173/1 में से वादग्रस्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173/2, 172 तक सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है ।जिसके लिए प्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त रास्ता रास्जव. रेकर्ड में रास्ता घोषित करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश करना पड़ रहा है । कटाणी रास्ता से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173/2172 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173/1 में से वादग्रस्त रास्ता मार्क A B C D रास्ता 15 फुट चौड़ाई में रास्ता घोषित फरमावें व राजस्व रेकर्ड में ट्रेस नक्शा में

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें । प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन व आने जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता ग्राम बेनण की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बेनण की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 173/2, 172 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173/1 में से दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे वादग्रस्त रास्ता A B C D से होकर आने जाने में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे न किसी अन्य से करावे । कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173/2 तक 15 फीट चौड़ाई में रास्ता घोषित फरमाया जाकर राजस्व ट्रेस नक्शा में रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जिसमें अप्रार्थीगण सं. 1, 5, 6, 7 की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया , अप्रार्थीगण सं. 2, 3, 4 के सम्मन बाद तामील होने के बाद भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी सं. 5, 6, 7 की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छावाह द्वारा जबाव प्रस्तुत नही करने पर इनका जवाब बन्द किया जाता है । केवल अप्रार्थीगण सं. एक की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छावाह ने जवाब .प्रस्तुत किया है कि ग्राम बेनण की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 173/2, 172 व 173/1 की भूमि अवश्य आई हुई है उक्त भूमि के दक्षिणी भाग की करीब 04 बीघा भूमि पर जगदीश पुत्र घमण्डाराम, पुखाराम पुत्र घमण्डाराम पिछले करीब पचास वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जगदीश पुत्र घमण्डाराम के खेत खसरा नम्बर 173 व खेत खसरा नम्बर 173/1 व 173/2 की करीब चार बीघा भूमि खेत खसरा नम्बर 173 में गिली हुई है उसके बाद में खसरानम्बर 173/1 व 173/2 में जगदीश पुत्र घमण्डाराम की पट्टिया खड़ी करके तारबन्दी कर रखी है। उक्त तथ्य छुपाने हुए प्रार्थी ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है । अप्रार्थी सं. 5 व 6 नाबालिग होते हुए भी बालिक बताया है । खेत

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 173/1 व 173/2 व खसरा नम्बर 172 के दक्षिणी भाग के करीब चार बीघा भूमि खेत खसरा नम्बर 173 में मिली हुई है जिस पर पिछले करीब पचास वर्षो से घमण्डाराम व घमण्डाराम के पुत्रो का कब्जा काश्त चला आ रहा है। पट्टियां खड़ी करके तारबन्दी कर रखी है । प्रार्थीगण ने जहां रास्ता बताया है उस भूमि पर व प्रार्थीगण की भूमि पर जगदीश वगैराह का कब्जा है । जिनको प्रार्थीगण नें पक्षकार ही संयोजित नही किया है । उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित किये है एवं गलत नजरी नक्शा बनाकर पेश किया है । यहां यह अंकित करना आवश्यक हो गया है कि उक्त प्रार्थनापत्र के प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. दो से वार ने श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र सं. 61/2018 मोहनराम बनाम जगदीश अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम का पेश करके खसरा नम्बर 173/1 के दक्षिण में तथाकथित वादग्रस्त रास्ता नही बताया है । उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी अन्जुदेवी ने लिखित में जवाब दिनांक 14.05.2018 का पेश किया है जिसमें खसरा नम्बर 173/1 व 173/2 के दक्षिणी भाग की करीब चार बीघा भूमि पर जगदीश व पुखराज का कब्जा बताया है एवं उक्त भूमि पचास साल पहले बैचान किया हुआ बताया है जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. दो से चार ने अपना प्रार्थनापत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 01.11.2018 को खारिज करवा दिया । इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. दो से चार पहले तो पत्थरगढ़ी का प्रार्थनापत्र पेश करके चार बीघा भूमि जगदीश वगैरा ने छुड़वाने का प्रयास किया । अब उक्त प्रार्थना पत्र की आड़ में जगदीश वगैरा की कब्जे वाली भूमि इस प्रार्थना पत्र की आड़ में छुड़ाने का प्रयास किया है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण ने मिथ्या बनावटी तथ्यो पर प्रार्थना पत्र पेश किया है तथाकथित रास्ता भूमि पर पिछले करीब पचास वर्षो से घमण्डाराम व घमण्डाराम के पुत्रो का कब्जा काश्त चला आ रहा है । इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमावें ।

इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम बेनण के खसरा नम्बर 173/1 रकबा 3.6405 हैक्टयर व खसरा नम्बर 173/2 रकबा 1.9740 हैक्टयर का मौका देखा गया । मौके पर उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि पूर्व में आपसी सहमति से खेतो में आते जाते थे लेकिन अब खेतो

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

में तारबन्दी व अपने दो खेतो की मेड़ बनाने पर खसरा नम्बर 173/2 में जाने हेतु खसरा नम्बर 173/1 की दक्षिणी मेड़ सहारे सहारे 12 फीट की चौड़ाई के रास्ते की मांग की गयी है । जिसे प्रतिवादीगण ने उक्त मांग की सहमति जाहिर करते हुए बताया कि इन खेतो का सीमांकन करवाया जाकर नियमानुसार रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति नही बताया । प्रस्तावित रास्ते की नजरी नक्शा अनुसार नाप दर्शाया गया है । जिसकी लम्बाई 85 गट्टा व चौड़ाई 2 गट्टा है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गयी । पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो, जबाब अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम बेनण के ख.न. 173/2, 172 में आने जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 173/1 दर्शाये अनुसार रास्ता वर्तमान में चालू है । आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 173/1 में से सबसे नजदीकी रास्ता हैं जो दिया जाना प्रस्तावित किया है।

अतः प्रार्थीगण के खेत ख.न. 173/2, 172 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 173/1 के दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे प्रस्तुत कश्मिनर रिपोर्ट में दर्शायें लाल स्याही से दर्शाये मार्क A B C D रास्ते की 08 बिस्वा भूमि (लम्बाई 85 गट्टा व चौड़ाई 2 गट्टा) रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है। ग्राम बेनण के ख.न. 173/1 में से भूमि की मालियत अनुसार प्रति बीघा कीमत 94518/– रू प्रति हैक्टयर (असिचित) है। रास्ते के काम आई भूमि 08 बिस्वा भूमि की कीमत 6117.50/– रू बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगनी कीमत 12235/– रू बनती है। मौका कश्मिनर रिपोर्ट,मौका फर्द व नजरी नक्शा निर्णय का अंग समझा जावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से 12235/– रू का चैक/डीडी प्राप्त कर अप्रार्थीगण जिनकी भूमि रास्ते के उपयोग में ली गयी उन खातेदारो को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम कर रास्ता खुलवाया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

सही/–

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

सही/–

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner